फर्द अहकाम

मुकाम– धोद मु. सीकर

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार, धोद

मदन लाल सामरिया बनाम मु.नं. 43 /2020

किस्म मुकदमा– प्रा.पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.10.2020	वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती के संबंध में है, अतः तहसीलदार, धोद को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा जावे। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब कर/रिपोर्ट हेतु पत्रावली नियत तिथि 26.11.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	
26/11/20	प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/01/21 को पेश हो।	
06/01/21	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/02/21 को पेश हो।	
15/2/2021	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम रैवासी तहसील धोद के खसरा सं. 458 रकबा 1.2700 हेक्टेयर, खसरा सं. 459 रकबा 1.2500 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 2.5200 हेक्टेयर में से प्रार्थी का 1/6 हक, हिस्सा एवं खसरा सं. 385 रकबा 0.6200 हेक्टेयर में से प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा है। उक्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड जमाब0ंदी में प्रार्थी का नाम बुद्धाराम पुत्र गीदा अंकित है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम मदनलाल सामरिया पुत्र गीदाराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, बिजली बिल, जाति प्रमाण–पत्र, अंकतालिका, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम मदनलाल सामरिया पुत्र गीदाराम अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बुद्धाराम पुत्र गीदा के स्थान पर मदनलाल सामरिया पुत्र गीदाराम दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थी से सुनी गई। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ''ग्राम रैवासी के खाता सं. 139 व 145 में प्रार्थी का [illegible] दर्ज है। पूछताछ प[illegible] सरपंच प्रमाण–पत्र के अनुसार बुद्धाराम [illegible]ल एक ही व्यक्ति के दो नाम है। प्रार्थी के आ[illegible] मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में नाम [illegible] नाम राजस्व रिकार्ड में बुद्धाराम पुत्र गीदा के स्थान [illegible]दनलाल सामरिया [illegible] गीदाराम किये जाने की अनुशंसा की [illegible]ती है।'' अतः मुता[illegible] तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों, प्रस्तु[illegible] शपथ–पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.02.22 17:09:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रैवासी तहसील धोद के खसरा सं. 458 रकबा 1.2700 हेक्टेयर, खसरा सं. 459 रकबा 1.2500 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 2.5200 हेक्टेयर व खसरा सं. 385 रकबा 0.6200 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम बुद्धाराम पुत्र गीदा के स्थान पर मदनलाल सामरिया पुत्र गीदाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु॰ सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.02.22 17:09:17 IST
Reason: SelfAttested